-55-

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

सी०सी०ए० (प्रतिदिन थाना में हाजरी) वाद संख्या–80 / 2023

राज्य बनाम् पिन्टु नायक

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

05/12/23

–:: आदेश ::–

पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ का ज्ञापांक–357 / डी०सी०बी०, दिनांक–01.08.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी पिन्टु नायक, पे०–बुटन नायक, सा०–छठ मंदिर, थाना–पतरातू (भु०), जिला–रामगढ़ के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम–2002 की धारा–3 के तहत् प्रतिदिन थाना में हाजरी लगाने से संबंधित प्रस्ताव अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया। अभियुक्त को उनका पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान कहा गया कि विपक्षी सामाजिक व्यक्ति है इसके विरूद्ध कोई भी अपराधिक काण्ड दर्ज नहीं है सिर्फ सनहा के आधार पर विपक्षी पर सी०सी०ए० अधिनियम लगाना नियमसंगत नहीं है। उन्होनें उक्त वाद को निरस्त करने का अनुरोध किया है। राज्य की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता के बहस को सुना। उन्होनें कहा कि अभियुक्त के विरूद्ध में कोई अपराधिक इतिहास जैसे गंभीर काण्ड दर्ज नही है, सिर्फ सनहा दर्ज है, यथा

1. पतरातू (भुरकुण्डा) थाना सनहा संख्या–17 / 2023, दिनांक–18.07.2023,
2. पतरातू (भु०) थाना सनहा संख्या–24 / 2023, दिनांक–21.07.2023 एवं
3. पतरातू (भु०) थाना सनहा संख्या–16 / 2023, दिनांक–26.07.2023

अतः विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ के द्वारा बहस के दौरान दिये गये मंतव्य एवं पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्ध में सिर्फ सनहा दर्ज है, कोई अपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

अतः इसे समुचित आधार न पाते हुए झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा–3 की कार्यवाही रद्द की जाती है।

यदि भविष्य में पुनः समानान्तर शिकायत दर्ज होती है तो पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 के तहत् पुनः अनुशंसा व प्रस्ताव भेज सकेंगे।

इसी आदेश के साथ वाद निस्तार किया जाता है।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2024.02.03 16:08:15 +05:30
Location: 192.168.0.32

Chandan 05/12/23

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।